



सत्यमेव जयते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



संख्या: मा.सं.प्र-1/टी-1(1)2026/1022

दिनांक: 01 अप्रैल 2026

कार्यालय आदेश

अ.के.आ-मुख्यालय, अ.के.आ एवं क्षे.भ.नि.आ-1 के संवर्गों में शिकायत निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, निम्नलिखित अधिकारियों के अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है और उनके संशोधित पदस्थापना स्थान नीचे दिए गए अनुसार हैं:

क्षे.भ.नि.आ-1

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान कार्यालय	स्थानांतरण आदेश दिनांक 06.03.2026 के अनुसार पदस्थापना कार्यालय	संशोधित पदस्थापना स्थान
1	अजय कुमार	क्षे.का. पीन्या	मुख्यालय	आं.का. बेंगलुरु
2	अजितेश कुमार	क्षे.का. राँची	आं.का. चेन्नई	आं.का. पटना
3	अमित सिंगला	आं.का. चंडीगढ़	क्षे.का. मुंबई नरीमन पॉइंट	क्षे.का. शिमला
4	मुरुगावेल सांबाशिवम	मुख्यालय		क्षे.का. तिरुवल्लुर
5	राहुल कुमार बी	क्षे.का. तिरुवल्लुर		क्षे.का. निजामाबाद
6	शशि कुमार	क्षे.का. इंदिरानगर	क्षे.का. शिमला	आं.का. हुबली
7	सुनील कुमार यादव	क्षे.का. मेरठ	आं.का. हुबली	मुख्यालय

2. अ.के.आ-मुख्यालय और अ.के.आ संवर्ग के अधिकारियों के साथ-साथ क्षे.भ.नि.आ-1 संवर्ग के शेष अधिकारियों की शिकायतों पर प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण विचार नहीं किया जा सका है, अतः एडेंडम संख्या मा.सं.प्र-1/टी-1(1)2026/1008-1010 दिनांक 11/03/2026 के साथ पठित, पूर्व आदेश संख्या मा.सं.प्र-1/T-1(1)2026/997-999 दिनांक 06/03/2026 का अनुपालन किया जाएगा।

3. स्थानांतरित अधिकारियों द्वारा एक विस्तृत कार्यभार सौंपने का नोट तैयार किया जाएगा और संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी को प्रतिलिपि देते हुए नए पदाधिकारी द्वारा इसे स्वीकार किया जाएगा। सभी रिपोर्टिंग अधिकारी इसका सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

4. स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाएगा और वे कार्यमुक्त होने के 3 दिनों के भीतर अपने नए पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। मुख्य कार्यालय के अधिकारी जो स्थानांतरित किए जा रहे हैं, वे नए पदाधिकारी को ब्रीफ और उन्मुख करेंगे तथा विस्तारपूर्वक कार्यभार सौंपेंगे। नए पदाधिकारी

द्वारा संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी को प्रतिलिपि देते हुए इसे स्वीकार किया जाएगा। सभी रिपोर्टिंग अधिकारी सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

5. कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ई-मेल के माध्यम से rc1.hrm@epfindia.gov.in पर मुख्य कार्यालय को भेजी जाएगी और इसे एच.आर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अपडेट किया जाएगा।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

शारिक

(मौहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मा.सं.प्र -I)

प्रति:

संबंधित अधिकारी।

प्रतिलिपि: (क.भ.नि.सं वेबसाइट के माध्यम से)

1. माननीय अध्यक्ष, कै.न्या.बोर्ड, क.भ.नि के निजी सचिव।
2. सचिव, श्रम एवं रोजगार के प्रधान निजी सचिव।
3. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव।
4. वि.स एवं मु.ले.अ/ मु.स.अ /अपर कें.भ.नि.आ (मुख्यालय)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
5. सभी अपर कें.भ.नि.आ, मुख्यालय एवं अंचल/मुख्य अभियंता।
6. सभी क्षे.भ.नि.आ प्रभारी (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)/ क्षे.भ.नि.आ (प्रशा), मुख्यालय/ क्षे.भ.नि.आ (एन.डी.सी)।
7. मुख्य कार्यालय के सभी अधिकारी।
8. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखा परीक्षा दल/ क्षे.भ.नि.आ आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
9. महासचिव, क.भ.नि अधिकारी संघ, लुधियाना।
10. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल।
11. ए.सी.आर/जी.आई.एस अनुभाग, गार्ड फाइल।

शारिक

(मौहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मा.सं.प्र -I)